भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1808
10 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय-राष्ट्रीय बागवानी मिशन का पुनर्गठन
1808. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावाः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार का देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से वर्तमान राष्ट्रीय बागवानी मिशन के पुनर्गठन का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या हाल ही में देश के थोक और खुदरा बाजारों में सब्जियों और फलों की कीमतों में कई गुना वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अन्य देशों को टमाटर और प्याज के निर्यात के कारण उक्त वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है; और
(ङ) यदि हाँ, तो फलों और सब्जियों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सहित सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख) भारत सरकार ने देश में बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम) की शुरुआत की। उक्त योजना का पुनर्गठन कर इसे वर्ष 2014-15 में समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें बागवानी क्षेत्र के व्यापक दायरा शामिल था तथा वर्ष 2025 में एमआईडीएच योजना का पुनर्गठन संशोधित प्रचालन संबंधी दिशानिर्देशों के साथ किया गया, और इसे पूरे देश में लागू किया गया, जिसमें देश के सभी जिले शामिल हैं, विभिन्न हस्तक्षेपों के लिए लागत मानदंडों में वृद्धि की गई उच्च मूल्य वाली, विदेशी और औषधीय फसलों को शामिल किया गया तथा बागवानी क्षेत्र में उपयोग की जा रही नवीनतम और नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) लागू कर रही है ताकि किसानों को उन कृषि और बागवानी उत्पादों के लिए, जो नाशवान हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके इसका उद्देश्य किसानों को फसल की बंपर पैदावार पर, जब कीमतों के उत्पादन लागत से नीचे आ जाने पर मजबूरी में अपनी फसल बेचने से बचाना है। एपीएमसी मंडियों में बेची गई फसलों के लिए किसानों को बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान करने के विकल्प के साथ मूल्य अंतर भुगतान (पीडीपी) जैसे नए घटक जोड़े गए हैं। इसके अतिरिक्त, टीओपी फसलों (टमाटर, प्याज और आलू) के परिवहन और भंडारण लागत की प्रतिपूर्ति केंद्रीय नोडल एजेंसियों और राज्य नामित एजेंसियों को उत्पादक राज्य से उपभोक्ता राज्य तक उनके भंडारण और परिवहन के लिए दी जाती है। पंजीकृत किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से एमआईएस के तहत भुगतान किया जाता है।

****